"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022 — माघ 15, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–37/2021/38–2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/16457, दिनांक 24–12–2021 द्वारा ओ.पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 28 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 28

प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम

(वर्किंग एक्जीक्यूटिव के लिए द्विवर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम)

[अधिनियम धारा 28 (1) (ब) एवं 29 (1)]

1. प्रयोज्यता

(i) प्रबंधन में पूर्वस्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (दो वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संक्षेप में) दो वर्षीय पाठ्यक्रम होगा जिसे द्विवर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कहा जायेगा एवं उसका नाम एक्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ई. एम.बी.ए.) होगा ।

(ii) ई.एम.बी.ए. की सर्टिफिकेट प्रबंधन के विभिन्न प्रकोष्ट शाखाओं द्वारा प्रदाय किया जायेगा जैसा कि वह सीमित नहीं है पर सामान्य प्रबंधक, सूचना टेकनोलॉजी, सेवाएं एवं उद्यमिता के लिये सफलता पूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने पर दिया जायेगा।

(iii) ई.एम.बी.ए. अध्ययन एवं परीक्षाएं, पाठ्यक्रम में ग्रेड एवं आंकलन विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किये जाने के आधार पर होगा एवं एक्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट उस व्यक्ति को प्रदाय किया जाएगा जिन्होंने अध्यादेश प्रावधान अुनसार पाठ्यक्रम कार्य, परियोजना कार्य एवं औद्योगिक प्रशिक्षण उल्लेखित समयावधि के भीतर पूर्ण किया हो।

2. प्रवेश हेतु योग्यता

(i) अभ्यर्थी जिन्हें 50% अंको के साथ किसी भी विद्या में स्नातक डिग्री या समतुल्य योग्यता एवं न्यूनतम 3 वर्ष का पूर्व कार्य अनुभव प्राप्त है, ई.एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र होगा। छात्र जिन्हें वैध प्रबंधन प्रवृत्ति परीक्षा जैसे कि सीएटी/एमएटी/एक्सएटी/राज्य प्रवेश परीक्षा/ओ.पी.जे.यू. प्रवेश परीक्षा अनुमोदित न्यूनतम प्रतिशत शैक्षणिक परिषद के मापदण्ड अनुसार न्यूनतम योग्यता प्राप्त हो को ई.एम.बी.ए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिमान्यता दी जाएगी।

(ii) यही नही जिन्हे उक्त पेरा (ii) में उल्लेखित किया गया है प्रबंधन, प्रवृत्ति परीक्षा हेतु जिन्हे विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया है एवं विदेशी नागरिकों से उचित मार्ग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें ई.एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में बिना योग्यता परीक्षा के प्रवेश हेतु विचार किया जावेगा। उनका प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित विनियमन अनुसार होगा।

(iii) प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस प्रक्रिया में यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई./राज्य सरकार के निर्देश का पालन किया जायेगा।

(iv) ई.एम.बी.ए. सर्टिफिकेट उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के विनियमन के तहत प्रदाय किया जायेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

(i) ई.एम.बी.ए. पाठ्यक्रम का सामान्य अवधि उसके परियोजना काल सहित चार सेमेस्टर का होगा। अभ्यर्थी को उसके परियोजना काल में किसी उद्योग व अन्य

संगठन में करने हेतु जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो में अनुमति होगी।

(ii) पाठ्यक्रम का प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कलेंडर सेमेस्टर के अंतराल सहित शालाध्यक्ष द्वारा कुलपति के अनुमोदन से घोषित किया जायेगा।

(iii) ई.एम.बी.ए. पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम चार वर्ष का समय उपलब्ध होगा। अधिकतम समयावधि में वापसी, अनुपस्थित एवं विभिन्न प्रकार के प्रयोज्य, अवकाश शामिल होगें। परन्तु विद्यार्थी को कोई प्रतिबंध उक्त अवधि से बाह्य होगा।

(iv) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में सभी विद्यार्थीगण अपना पंजीयन करायेंगे। जो कि शैक्षणिक कलेंडर के निर्धारित समयावधि के भीतर होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना

ई.एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की संरचना, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम, इस संबंध में बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदन के अनुसार होगा।

5. कक्षा का संचालन

इस प्रोग्राम की अवधि 24 महीनों की है एवं इसकी कक्षाएं सप्ताहांत में शनिवार व रविवार को 8 घंटे प्रतिदिन होगी।

6. परीक्षाएँ

(i) विश्वविद्यालय सतत् मूल्यांकन पद्धति अपनाएगा। सत्त मूल्यांकन पद्धति में विद्यार्थीयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई.)

एवं सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई.एस.ई.) द्वारा की जायेगी।ग्रेडिंग एवं अंतिम मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, असाइनमेंट, कक्षा में भागीदारी, टर्म पेपर्स एवं प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित होगा।

(ii) उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई) में दो अवयव होंगें

(अ) शिक्षक मूल्यांकन (टी.ए.): यह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, असाइनमेंट, कक्षा में भागीदारी, इकाई परीक्षण एवं प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित रहेगा।

(ब) मध्यावधि परीक्षा (एम.एस.ई): यह परीक्षा लगभग 50%कोर्स पर (एम.एस. ई) आयोजित होगी।

(iii) अंतिम अवधि परीक्षा (ई.एस.ई)

(iv) अंतिम अवधि एवं मध्यावधि परीक्षा का अंतराल निम्न होगा :

परीक्षा	न्यूनतम अंतराल	अधिकतम अंतराल
मध्यावधि	2 घंटा	
अंतिमअवधि	2 घंटा	3 घंटा

(v) विस्तृत परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई.) पाठ्यक्रम के सभी अवयवों के लिये जैसा शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है के अनुसार होगी।

(vi) किसी विद्यार्थी को सेमेस्टर अंत परीक्षा देने से अयोग्य शालाध्यक्ष द्वारा निम्नांकित कारणवश किया जा सकेगा।

अ. विद्यार्थी के विरूद्ध,अनुशासनात्मक कार्यवाही :–

ब. शालाध्यक्ष द्वारा संस्तुती करने पर यदि सेमेस्टर के दौरान उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई.) अनुपालन असंतोषजनक पाया जाता है ।

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में पूर्ण परीक्षा आयोजित की जावेगी। उक्त परीक्षा में वे योग्य विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे जो पिछले सेमेस्टर की परीक्षा के सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे है।

(viii) शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिये उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहने के बावजूद शालाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

7. कार्य का मूल्यांकन

(i) अंक आधारित

(अ) प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन पाठ्यक्रम के प्रत्येक अवयव को देखते हुए नियमित मूल्यांकन सेमेस्टर के अंत परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई.) के अनुसार किया जाएगा। पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के प्रत्येक अवयव में अधिकतम अंक परीक्षा योजना की घोषणा शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषणा अनुसार होगा।

(ब) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्या के समग्र परिणाम में न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

(ii) आंकलन का आधार

(अ) एक घंटे का संपर्क व्याख्यान (एल) का आंकलन एक के बराबर होगा। दो घंटे का संपर्क व्याख्यान (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) का आंकलन एक होगा। अंतः आकलन = (एल+(टी+पी)/2) । किसी विषय का आंकलन उसके पूर्ण अंक अनुसार होगा न कि भिन्नांश। यदि किसी

विषय में भिन्नांश मिलता है तो उसे निकटतम पूर्णांक माना जायेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण का आंकलन उक्त अवधि में शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(ब) किसी अभ्यर्थी को किसी सेमेस्टर के लिए प्राप्तांक एवं आंकलन आबंटित तभी किया जाएगा जब वह उक्त सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो।

(स) वह अभ्यर्थी ई.एम.बी.ए. सर्टिफिकेट प्राप्ति के योग्य होगा जिसने केवल सभी योग्यताओं को प्राप्त कर प्रवेश लिया है।

8. उपस्थिति

कोई अभ्यर्थी नियमित छात्र के रूप में किसी सेमेस्टर परीक्षा हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में पृथक–पृथक विषय पाठ्यक्रम के लिए होगी। उपस्थिति में 5 प्रतिशत की कमी एवं पुनः 5 प्रतिशत छूट क्रमशः शाला प्रमुख एवं कुलपति द्वारा संतोषजनक कारण होने पर दी जा सकती है परंतु किसी भी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी जिसकी उपस्थिति 65 प्रतिशत से कम की रही है, हेतु अंत सेमेस्टर परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. कार्यक्रम में विराम

विद्यार्थीगण को कार्यक्रम में अंतराल की अनुमति केवल स्वास्थ्यगत कारणों से दिया जा सकेगा।

11. प्रोजेक्ट कार्य एवं मूल्यांकन

(i) संस्थाओं के प्रायोजित छात्र जिनके पास प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की सुविधा है को ऐसी संस्थाओं में अपने प्रोजेक्ट करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) छात्रों को अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में शाला प्रमुख के अनुमोदन से प्रोजेक्ट करने की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन शैक्षणिक परिषद के योजना के अनुसार किया जाएगा।

12. श्रेणी प्रणाली का आधार

(i) प्रत्येक विषय में श्रेणी का आंकलन संबंधित विषय एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसा से होगी जिसे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। किसी सेमेस्टर में केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम ही प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(ii) प्रत्येक विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में पंजीकृत होने के लिए उसे लेटरग्रेड श्रेणी प्रदान किया जावेगा। किसी विद्यार्थी को लेटरग्रेड उसके संयुक्त प्रदर्शन

सेमेस्टर अंत परीक्षा (ई.एस.ई.) एवं उत्तरवर्ती पुनर्विलोकन परीक्षा (पी.आर.ई.) के आधार पर होगा।

(iii) लेटरग्रेड का उपयोग एवं उसके संख्या सूचक बराबर (ग्रेड प्वाइंट) कहा जावेगा। जो शैक्षणिक परिषद के विनयमन अनुसार होगी।

(iv) लेटरग्रेड का प्रदाय प्रत्येक विषय सैद्धांतिक या प्रायोगिक एवं प्रत्येक अवयव पाठ्यक्रम के लिये पृथक होगा।

(v) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसतन (एस.जी.पी.ए.) किसी सेमेस्टर के लिए औसतन पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा किसी सेमेस्टर में उसके प्रदर्शन के आधार पर होगा। एस.जी.पी.ए. प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सी.जी.पी.ए. का आंकलन परिषद के विनियमन के अनुसार होगा।

(vi) संयुक्त ग्रेड प्वाइंट औसतन (सी.जी.पी.ए.) पाठ्यक्रम के औसतन ग्रेड प्वाइंट किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश सर्टिफिकेट कार्यक्रम होगी जो उसका संयुक्त प्रदर्शन दर्शाएगा। सी.जी.पी.ए. सेमेस्टर के अंत मे आंकलन किया जायेगा जो शैक्षणिक परिषद के विनयमन अनुसार होगा।

(vii) किसी विशेष विषय में उत्तीर्ण होने न्यूनतम ग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट का निर्धारण शैक्षणिक परिषद के विनयमन अनुसार होगा।

(viii) किसी विद्यार्थी का सभी आंकलन उसे आबंटित विशेष विषय जहॉ उसने उत्तीर्ण किया हो से किया जावेगा।

(ix) किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट प्रदाय करने न्यूनतम सी.जी.पी.ए. प्राप्त करना होगा, जिसके संबंध में शैक्षणिक परिषद द्वारा विनयमन तैयार किया गया है।

(x) अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के अंत में अंतिम परीक्षा ग्रेड शीट पाठ्यक्रम हेतु सी.जी.पी.ए. दर्शित अनुसार होगा। सी.जी.पी.ए. द्वारा इस संबंध में समकक्ष प्रतिशत अंक प्राप्तांक के बराबर संपरिवर्तन किया जा सकेगा जो शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये विनियमन अनुसार होगा।

13. ग्रेड शीट

किसी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने के पश्चात संयुक्त अभिलेख संपूर्ण पाठ्यक्रम, सेमेस्टर अनुसार उसे प्राप्त ग्रेड एस.जी.पी.ए. एवं सी.जी.पी.ए. की प्रतिलिपि दी जायेगी।

14. शुल्क

पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्रमांक एफ 3–37/2021/38–2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4–2–2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 4th February 2022

NOTIFICATION

No. F 3-37/2021/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/PU/07/O&S/2015/16457, Dated 24-12-2021 has approved the New Ordinance No. 28 of O.P. Jindal University, O.P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh (Chhattisgarh), Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.

3. The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

OP JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)
ORDINANCE NO. 28
POST GRADUATE PROGRAMME IN MANAGEMENT– TWO YEAR CERTIFICATE COURSE for Working Executives
[Act Section 28(1) (b)& 29 (1)]

1. APPLICABILITY

i. The Postgraduate Programme Course in Management (2 year Certificate Course, in brief) shall be of two-year duration, and shall be designated as Executive Master of Business Administration (EMBA) for working executives.

ii. The certificate of Executive Master of Business Administration (EMBA) shall be awarded for various branches of Management, but not limited to, General Management, Marketing Management, Finance Management, Human Resources Management, Operations Management, Information Systems, Technology Management, Services and Entrepreneurship after successful completion of course.

iii. The studies and examinations of the Executive Master of Business Administration (EMBA) course shall be on the basis of Grades and Credits earned by the student and the certificate of Executive Master of Business Administration (EMBA) shall be awarded to a candidate who as per the provisions of this Ordinance has successfully completed the Course work and project-work within the prescribed time period.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS

i. Candidate having Bachelor's Degree or equivalent with 50% marks in any discipline and minimum three-year post qualification work experience shall be eligible to apply for the Executive Master of Business Administration (EMBA) programme. Candidates having a valid Management Aptitude Test score such as CAT/ MAT/ XAT/ State Entrance Test/OPJU Entrance Test as approved with minimum percentile fixed by the Academic Council would be given preference for admission to the EMBA (Working Executives) programme.

ii. Notwithstanding what has been stated in above (2.i) regarding Management Aptitude tests, the candidates sponsored by organizations recognized by the University and applications from foreign nationals received through proper

channel may be considered for admission to the Executive Master of Business Administration (EMBA) Programme without qualifying such a test. Their admission shall, however, be governed by the regulations prescribed by the University for the purpose.

iii. The detailed Admission procedure shall be decided by the Academic Council of the University. The Guidelines issued by UGC/AICTE/State Government, if any, shall be adhered to.

iv. The award of the Executive Master of Business Administration (EMBA) Certificate shall be in accordance with the regulations of the University.

3. DURATION OF THE COURSE

i. The normal duration of the Executive Master of Business Administration (EMBA) programme including project work shall be of four semesters. Candidates may be permitted to do their project work in his own or other industry and organizations approved by the University.

ii. The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School with the approval of Vice-Chancellor at the beginning of each year.

iii. The maximum duration available to a student for completion of Executive Master of Business Administration (EMBA) Course shall be of four years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any.

iv. At the beginning of each semester, every student shall have to register him / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The subjects to be studied in different semesters of the Executive Master of Business Administration (EMBA) course shall be as per the schemes approved by the concerned Board of Studies and Academic Council of the University.

5. CONDUCTION OF THE CLASSES

The programme is spread over twenty-four months and the classes will be conducted in the

weekends i.e. Saturday & Sunday for 8 hours on each day.

6. EXAMINATIONS

(i) The University shall follow the system of continuous evaluation. The system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study. Grading and final evaluation is done on the basis of quizzes, assignments, class participation, term papers and project work.

(ii) The Progress Review Examination (PRE) consists of two components:

a. Teacher assessment (TA): It is based on quizzes, assignments, class participation, unit test and project work.
b. Mid Semester Exam: It will be conducted for almost 50% of the course.

(iii) The End Semester Examination (ESE)

(iv) Duration for the Mid-Term and End –Term examination will be as follow:

Exam	Minimum duration	Maximum duration
Mid-Term	2Hrs	
End-Term	2Hrs	3Hrs

(v) The detailed examination scheme for End Semester Examination (ESE) as well as Progress Review Examination (PRE) for all components of the curriculum shall be prescribed by the Academic Council.

(vi) A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the School due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action taken against the student.
(b) On the recommendation of Dean of the School, if the performance in the Progress Review Examination (PRE) during the Semester has been found unsatisfactory.

(vii) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the students. This examination will also enable those students to appear in the theory /

practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

(viii) The teacher may conduct the makeup examination for the students who have missed or failed in the Progress Review Examination, with the approval of the Vice Chancellor on recommendation of Dean of the School.

7. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(i) BASIS OF MARKS

(a). The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examinations (ESE) and Progress Review Examinations (PRE). The maximum and minimum marks in the composite /final result (ESE+ PRE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b). To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum.

(ii) BASIS OF CREDITS

(a). One hour of contact in lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact in tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not a fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded off to nearest whole number.

(b). A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c). A candidate shall be eligible for the award of certificate of EMBA, only when he / she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing for any semester examination are required to attend at-least 75 percent, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the University respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate

attendance of less than 65% in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTER

A student shall be allowed to carry the backlogs of theory/practical subjects of the preceding semester but he/ she should complete the course within the stipulated duration as mentioned in clause (3) of the ordinance.

10. BREAK IN THE PROGRAMME

Students may be permitted to take a break in the programme ONLY on medical / health grounds.

11. PROJECT WORK AND EVALUATION

(i) Sponsored candidates from Organizations which have facilities for work in the area proposed may be permitted to carry out their project work in such organizations.

(ii) Candidates may also be permitted to carry out their project in other reputed Organizations with the approval of Dean of the School.

(iii) The evaluation of Project work shall be done as per the scheme laid down by the Academic Council in this regard.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(i) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the Board of Studies (BoS) and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(ii) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the End Semester Examination (ESE) and Progress Review Examination (PRE).

(iii) The letter grades to be used and their numerical equivalents (called the Grade Points) shall be as per the regulations framed by the Academic Council for the purpose.

iv) The letter grades shall be awarded for each subject, theoretical or practical and for each module (component) of the curriculum separately.

(v) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in a semester and reflects the performance of a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per the regulations framed by the Academic Council.

(vi) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission to the certificate programme and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of n^{th} semester shall be calculated as per the regulations framed by the Academic Council.

(vii) To clear (pass) a particular subject the minimum required grade and grade point shall be as per the regulations framed by the Academic Council from time to time in this regard.

(viii) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject if he / she clear (pass) that subject.

(ix) For the award of certificate, a candidate should have secured minimum CGPA as per the regulations framed by the Academic Council from time to time in this regard.

(x) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council from time to time in this regard.

13. GRADE SHEET

The grade sheet issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of grades obtained SGPA of each semester and the final CGPA.

14. FEES

Fee for the programme shall be decided by the Board of Management of the University with the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission (CGPURC) from time to time.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.